न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2026-131RAAJodhpur2026-74RTA225 Shanti Vs Malaram etc

शान्ति पुत्री भाकरराम जाति–विश्नोई निवासी–उदाणियों की ढाणी हाल निवास–धोलिया तहसील पोकरण जिला जैसलमेर राजस्थान।

अपीलाण्ट ...

ब
ना
म

1. मालाराम पुत्र बादराराम जाति–विश्नोई निवासी–उदाणियों की ढाणी, सावरीज तहसील फलौदी जिला फलौदी राजस्थान।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार फलौदी जिला फलौदी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 18 फरवरी 2026 सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी राजस्व प्रार्थना पत्र सं 211/2025 अनवान मालाराम बनाम शांति इत्यादि

उपस्थित–
श्री उम्मेदसिंह बावरलाल, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री रोशनलाल, अधिवक्तां रेस्पोडेंट संख्या एक
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या दो

नि र्ण य

दिनांक : 22 मई 2026

अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 211/2025 अनवान मालाराम बनाम शांति इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 18 फरवरी 2026 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 27 फरवरी 2026 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खेत खसरा नंबर 78/1 रकबा 9.7124 हैक्टेयर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

ग्राम उदाणियों की ढाणी तहसील फलोदी में आवागमन हेतु अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 943/70 रकबा 7.9804 हैक्टेयर में सें संलग्न नजरी नक्शे अनुसार 30 फुट चौड़ा रास्ता चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 18 फरवरी 2026 के जरिये रेस्पोंडेंट संख्या एक का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट की खातेदारी कृषि भूमि में किसी प्रकार का कोई रास्ता नही है और न ही आवागमन हेतू कोई रास्ता चल रहा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने मौके पर जिस तरह का रास्ता बताया है, वह बिल्कुल मनगंढत तथ्य गढ़कर बताया गया है, जबकि अपीलान्ट की खातेदारी कृषि भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा व काश्त चला आ रहा है, मौके पर किसी प्रकार का कोई रास्ता उपलब्ध नही है। रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतू मौके पर किसी प्रकार का रास्ता उपलब्ध नही होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में भयंकर विधिक एवं कानूनी भूल की है। अपीलान्ट के खातेदारी कृषि भूमि के चारो तरफ जाली व तारबन्दी की हुई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 78/1 के पड़ौस में ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के भाईयों की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 78, 78/2, 78/3, 78/4 व 77 आयी हुई है। उक्त कृषि भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के व उनके भाईयों की पुश्तैनी कृषि भूमि है। खसरा नम्बर 77 के बिल्कुल चिपते ही कटाणी रास्ता आया हुआ है जो तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में मार्क ई से एफ के रूप में दर्शाया गया है। जब रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के स्वयं की एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के भाईयो की पुश्तैनी खातेदारी कृषि भूमि में आवागमन हेतू कटाणी रास्ता मौजूद है तो न्याय हित में अपनी सुविधानुसार अन्य रास्ते की ईस्तदुआ नही की जा सकती है, परन्तु उपरोक्त तथ्यों एवं तहसीलदार द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट का भलीभांति अवलोकन किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में भयंकर कानूनी भूल की है। ऐसी स्थिति में रेस्पो. के आवागमन हेतु मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 211/2025 अनवान मालाराम बनाम शांति इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 18 फरवरी 2026 को खारिज फरमाया जावे एवं रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावे।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका रिपोर्ट में रेस्पोडेंट संख्या के आवागमन हेतु अपीलांट की खातेदारी भूमि में से ही निकटतम एवं लघुतम रास्ता बताया गया है। अपीलाधीन रास्ते के अलावा रेस्पो. के आवागमन हेतु मौके पर अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलाधीन रास्ता पूर्व में मौके पर चलायमान था। अपीलांट द्वारा बाद में बंद किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा रास्ते की प्रतिकर राशि भूमि के बदले भूमि दिये जाने का आदेश पारित करते हुए धारा 251–ए की मंशाअनुरूप लघुतम एवं निकटतम रास्ते का विधिसम्मत आदेश पारित किया है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 07.01.2026 के अवलोकन मुताबिक भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 69 की पालना में अपीलार्थीनी को सूचित किये बिना उसकी अनुपस्थिति में उक्त मौका फर्द तैयार किया जाना प्रकट होता है। अपीलार्थीनी का कथन है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 78/1 के पड़ौस में ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के भाईयों की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 78, 78/2, 78/3, 78/4 व 77 आयी हुई है। उक्त कृषि भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के व उनके भाईयों की पुश्तैनी कृषि भूमि है। खसरा नम्बर 77 के बिल्कुल चिपते ही कटाणी रास्ता आया हुआ है जो रेस्पोडेंट संख्या एक के आवगामन हेतु मौके पर चालू है। भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा उक्त रास्ते के विकल्प की जांच किये किये बिना मौका जांच रिपोर्ट तैयार किया जाना प्रकट होता है। यह उल्लेखनीय है कि विचारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न्यायालय द्वारा अपीलाधीन रास्ते को जिस कटाणी रास्ते से जोड़ा गया है, वह रास्ता मौका रिपोर्ट में मौके पर बंद बताया जाकर खसरा नंबर 944/70 की दूसरी माठ के सहारे चलायमान बताया गया है, जिससे अपीलाधीन रास्ते में वर्तमान चलायमान रास्ते की निरंतरता का भी अभाव पाया जाता है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना एकपक्षीय मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश का पारित किया जाना प्रकट होता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के आधार पर अपील अीपलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 211/2025 अनवान मालाराम बनाम शांति इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 18 फरवरी 2026 निरस्त किये जाकर मामला विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मामले में सभी आवश्यक खातेदार को पक्षकार संयोजित करते हुए उभय पक्षकारान् की उपस्थिति में तहसीलदार से मौके पर उपलब्ध सभी रास्ते के विकल्पो की मय दूरी मौका फर्द तलब कर उस पर उभय पक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पुनः विधिसम्मत निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर